

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-134/2021 3466
प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।
चिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
सुपौल।

पटना, दिनांक- 1.9.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।
प्रसंग:- आपका पत्रांक-1235-2, दिनांक-27.08.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र०सं 0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	सुपौल	7	0	7
कुल		7	0	7

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वसभाजन

सचिव।

ज्ञापांक- 3406 /-

पटना, दिनांक- 1.9.21 /-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव।

ज्ञापांक- 3406 /-

पटना, दिनांक- 1.9.21 /-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक- 3406 /-

पटना, दिनांक- 1.9.21 /-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव।

प्रपत्र-2

[नियम 2 (अ) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

पंचायत-बकौर

डिला-सुपौल

प्रखंड-सुपौल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्व से अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या नाम एवं स्थल	संशोधित मतदान केन्द्र हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रति 100 से 0 संख्या)	मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या (कम.....से.....तक)	भवन सरकारी/अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमराओं की संख्या	मतदान केन्द्र के निकट की अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्गों के लोग निर्भय होकर आ जा सकते अथवा नहीं	अभ्युक्ति		
107 प्राथमिक विद्यालय बकौर हाट परव भाग	ब्राह्म आश्रम स्थल बकौर उत्तर भाग	मुखिया का घर 100 मीटर के अन्दर रहने के कारण	6	1 से 634	सरकारी	2	1 कि०मी०	हों	हों		
108 प्राथमिक विद्यालय बकौर हाट परव भाग	ब्राह्म आश्रम स्थल बकौर दक्षिण भाग	मुखिया का घर 100 मीटर के अन्दर रहने के कारण	7	1 से 464	सरकारी	2	1 कि०मी०	हों	हों		
109 प्राथमिक विद्यालय बकौर हाट परव भाग	प्राथमिक विद्यालय बकौर विजयपुर रामटोला पूरव भाग	मुखिया का घर 100 मीटर के अन्दर रहने के कारण	8	1 से 496	सरकारी	5	1 कि०मी०	हों	हों		
110 प्राथमिक विद्यालय बकौर हाट परव भाग	प्राथमिक विद्यालय बकौर विजयपुर रामटोला मध्य भाग	मुखिया का घर 100 मीटर के अन्दर रहने के कारण	9	1 से 387	सरकारी	5	1 कि०मी०	हों	हों		
111 प्राथमिक विद्यालय बकौर हाट परव भाग	प्राथमिक विद्यालय बकौर विजयपुर रामटोला पश्चिम भाग	मुखिया का घर 100 मीटर के अन्दर रहने के कारण	10	1 से 271	सरकारी	5	1 कि०मी०	हों	हों		

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चालित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

+++

26/11/2024

निर्वाची प्रदाधिकारी (पंचायत)

-सह-

सहायक निर्वाची प्रदाधिकारी (पंचायत)
सुपौल।

रज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

प्रखंड विकास प्रदाधिकारी सुपौल।

उप सचिव
रज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

01/11/24

26/11/2024

प्रपत्र-2

[नियम 2 (अ) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

पंचायत-एकमा

जिला-सुपौल

प्रखंड-सुपौल

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पृष्ठ सं.	अनुमोदित मतदान केन्द्र की सूची, नाम एवं स्थल	संशोधित मतदान केन्द्र हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा0नि0क्षे 0 संख्या)	मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या (क्रम.....तक)	भवन सरकारी/अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र के तत्काल मतदाता द्वारा तय की जानेवाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं विकास की अवस्था व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्गों के लोग निर्भय होकर आ जा सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति	
2550	हनुमान मठ विद्यालय उत्तर भाग	पंचायत भवन एकमा उत्तर भाग	दूरी अधिक होने के कारण	3	1 से 548	सरकारी	2	1 कि०मी०	हों	हों		
2554	हनुमान मठ विद्यालय उत्तर भाग	पंचायत भवन एकमा दक्षिण भाग	प्रा0नि0क्षे सं० 07 में सरकारी भवन उपलब्ध रहने के कारण	7	1 से 362	सरकारी	2	1 कि०मी०	हों	हों		

नियम 2 (अ) के अधीन है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र किसी भी भवन में स्थापित नहीं किया गया है। चयनित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

नगरपालिका निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

सुपौल।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा

प्रखंड विकास पदाधिकारी

सुपौल।

निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

-सह-

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

सुपौल।